25-11-2019

डिक्रीधारी द्वारा अधिवक्ता श्री मनमोहन सिंह राठौर उपस्थित।

निर्णीत ऋणी कमांक 01 द्वारा अधिवक्ता श्री विजय नापित अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णीत ऋणी कमांक 02 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण उचित आदेशार्थ आज नियत है।

प्रकरण आदेश पत्रिका दिनांक 26.03.2019 की स्थिति मे माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलुपर से अग्रिम आदेश प्राप्ती पर विचार के लिये लिया जाता है।

उभयपक्ष को सुना।

उभयपक्ष ने व्यक्त किया कि इस निष्पादन प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम कार्यवाही पर स्थगन जारी है, इसलिये कोई अग्रिम कार्यवाही फिलहाल नहीं की जा सकती। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व से अभिलेख में संलग्न है। साथ ही यह भी व्यक्त किया कि अग्रिम जमा 50 प्रतिशत राशि को निकालने के आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय से दिये जा चुके है, जिसके पालन मे राशि प्राप्त की जा चुकी है। फिलहाल इस प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय से आगामी आदेश प्राप्ती के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

इस पर उभयपक्ष से पूछा गया कि क्यो न प्रकरण अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार

Order Sheet [Contd]

धनसिंह गोंड़ V M.B. पॉवर कं. &

Case No. 78 of 2018

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जमा करा दिया जावे, तो उभयपक्ष ने सहमति जताई और कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया। सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि यह निष्पादन प्रकरण डिक्रीदार धनसिंह गोंड़ की ओर से मदयून कमांक 01 मोजरवेयर पॉवर लिमि. अनूपपुर व मदयून कमांक 02 म.प्र. शासन जरिये भू–अर्जन/अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी के विरूद्ध न्यायालय द्वितीय जिला न्यायधीश अनूपपुर के न्यायालय के भू–अर्जन प्रकरण कमांक 39/15 धन सिंह वगै विरूद्ध मोजर वेयर अन्य 01 मे दिनांक 18.06.2016 को घोषित अधिनिर्णय/डिकी के निष्पादन हेतु प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 21 नियम 11 सीपीसी पर दिनांक 22.02.2017 को संस्थित हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के द्वारा प्रथम अपील कमांक 719/2018 मे पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 अनुसार इस प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही कर स्थगन आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से इसी प्रथम अपील में दिनांक 05.02.2018 को आदेश पारित कर अवार्ड की 50 प्रतिशत राशि के अंतरिम भुगतान के आदेश भी किये है, जिसके अनुसार डिक्रीधारी को आदेश पत्रिका दिनांक 14.03.2018 के अनुसार राशि का भुगतान करने के आदेश किये जा चुके है। इस प्रकरण मे माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन उपरांत अब अन्य कोई कार्यवाही फिलहाल शेष नही रह गई है। जैसा कि स्वयं उपस्थित पक्षकारो का भी कहना है और वे स्वयं प्रकरण के अभिलेख को अभिलेखागार जमा कराने के लिये सहमत है। उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि इस प्रकरण में फिलहाल निष्पादन योग्य कोई कार्यवाही शेष नही है और मात्र माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से आगामी	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Pleader... nec...
	आदेश की प्रतीक्षा की जानी है, यह अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश की प्रतीक्षा में उसके प्राप्ती तक अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद विचार प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर यह अभिलेख इस निर्देश के साथ अभिलेखागार जमा कराया जाए कि माननीय उच्च न्यायालय में अपील लंबित है, अभिलेख सुरक्षित रखा जाए। (भूपेन्द्र नकवाल) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, अनूपपुर	